राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस.–I/ दिनांक 04.04..2020

आदेश–122–डी

दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिनियम के आदेश संख्या 121 दिनांक 25.03.2020, 122 दिनांक 26.03.2020, 122–ए दिनांक 29.03.2020, 122–बी दिनांक 30.03.2020 और 122–सी दिनांक 03.04. 2020, के अनुक्रम में, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 के तहत, शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा इनके कड़ाई से अनुपालन के निर्देशों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों को पूर्वोक्त आदेशों के अनुसार दिए गए दिशा–निर्देशों के लिए चतुर्थ परिशिष्ट जारी करते हैं। यह आदेश 14 अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक दिल्ली के सभी हिस्सों में लागू रहेगा।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि

1. राज्य कार्यकारी समिति, समस्त सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय – डीडीएमए के आदेश संख्या 121 दिनांक 25.03.2020 में संलग्न दिशा–निर्देशों के लिये चतुर्थ परिशिष्ट।

क. खंड–4 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (एन) और (ओ) का जोडे जाना

(एन) कृषि मशीन के लिए दुकानें, इनके स्पेयर पार्ट्स (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) और मरम्मत के लिये खुली रहेंगी।

(ओ) राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत के लिए दुकानें, ईंधन पंपों पर प्राथमिकता।

खं. खंड –5 के अपवाद स्वरूप उप–खंड (एफ) का जोड़े जाना

(एफ) अधिकतम 50प्रतिशत श्रमिकों के साथ वृक्षारोपण सहित, चाय उद्योग।

टिप्पणी : जैसा लॉकडाउन उपायों में निर्धारित किया गया है, उपरोक्त प्रत्येक गतिविधि में सोशल डिस्टेंसिंग और उचित स्वास्थ्य प्रक्रियाओं के साथ ही साथ पिछले आदेशों में अनुमत गतिविधियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए. संगठनों/संस्थान प्रमुखों की जिम्मेवारी होगी कि वे ऐसे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. जिला प्राधिकरण इन्हें कड़ाई के साथ लागू करेंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली